1/2क/62/14

संख्याः 1594/33–3–2014–100(07)/2014

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में वेतन भत्ता आदि में आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत अवशेष वित्तीय स्वीकृतियॉ अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1/489/2014–1/152/2013 दिनांक 15 जुलाई, 2014 व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2467/दस–2014– 231/2014दिनांक 22 जुलाई, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों के वेतनादि मद में प्रावधानित अनुमानित धनराशि रू0 9989004 हजार के सापेक्ष लेखानुदान अवधि के लिए शासनादेश संख्या–779/33–3–2014– 100(07)/2014, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 द्वारा रु0 3329668 हजार (रु0 तीन अरब बत्तीस करोड़ छियान्बे लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर दिये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 6659336 हजार(रू0 छः अरब पैसठ करोड़ तिरान्बे लाख छत्तीस हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्नक में अंकित किया गया है, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय के लिए निदेशक, पंचायती राज उत्तरदायी होंगे। धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–2467/दस–2014–231/2014दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/8भाग ही हो यदि किसी माह में 1/8 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक का व्यय न किया जाय।

(3) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(4) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी

2694
मु.वि./ले.अधि.
26.8.14

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज, उ० प्र०

शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(5) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशो के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक–''2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789– अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना –04–पंचायती राज संस्थाये –0401–सफाई कर्मचारी'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231/2014दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1594 (1)/33–3–2014– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी/कोषधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) उ0प्र0।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (आय व्ययक) अनु0–1
6– पंचायती राज अनुभाग–3
7– बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
8– कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0-1594/33-3-2014-100(07)/2014 दिनांक 26 अगस्त जुलाई, 2014 का संलग्नक

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यकम

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

04-पंचायती राज संस्थायें

0401-सफाई कर्मचारी

आयोजनागत (अनुदान संख्या-83)

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद	वर्ष 2014-15 का आय-व्ययक अनुमान	लेखानुदान अवधि हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि	वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि
1	2	3	4
01-वेतन	4660890	1553630	3107260
03-महगाई भत्ता	4893934	1631311	3262623
06-अन्य भत्ते	419480	139827	279653
08-कार्यालय व्यय	7500	2500	5000
19-विज्ञापन, विकी और विख्यापन व्यय	1700	567	1133
49-चिकित्सा व्यय	7500	1833	3667
योग	9989004	3329668	6659336

allotment Government 01-07-2014